

2021/113  
 न्याय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

37/2021

तारीखरजू:- 17/6/21

उनवान:- बनीसिंह बनाम रामवीर


प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212


दिनांक  
 16


फर्द अहकाम


प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस सुनकर अप्रार्थीगण का सर्वप्रथम जबाब प्रस्तुत कराया जाना उचित पाता हूँ प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 13.7.2021 को पेश हो।


2966-68  
 17/6/21

  
 (दुर्गा प्रसाद मीना)  
 उप जिला कलक्टर  
 टोडाभीम जिला करौली

3.7.21 प्रार्थी वकील उप0 अप्रार्थी की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा Adv. जे. कालवनामा पेश किया। जबाब पेश करने दिनांक 27.7.21 को पेश हो।  


7.7.21 वकूलाय उप0 P.O. साहब इब्रालाश पर दर्जताम्बला जबाब पेश करने दिनांक 27.8.21 को पेश हो।  


7/08/21 वकूलाय उप0 जबाब पेश करने पत्रावली दिनांक 29/09/21 को पेश हो।  


23/21 वादी वकील/परिचित/अन्य बंधु उपस्थित पीठासीन अधिकारी के करौली जिले में पधारें है। पत्रावली गतानुसार दिनांक 7.12.21 को पेश हो।  


7/12/21 वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी है। गतानुसार दिनांक 13-1-22 को पेश हो।  
